



ANIMAL CRIME CONTROL

RIGHTS * PROTECTION * JUSTICE

जय हिन्द! पशु अधिकारों की रक्षा करना हमारा प्रथम उद्देश्य है। जय हिन्द!





ANIMAL CRIME CONTROL

किसी भी जानवर को डंडे से मारना या पीटना, उसे उसकी जगह से हटाना या भगाना, प्रताड़ित करना अथवा जान से मारना ऐसा कोई भी काम करना जिससे उसे कष्ट या पीड़ा पहुँचे- पशु क्रूरता अधिनियम की धारा **11 (PCA Act 1960 Section 11)** एवं भारतीय दंड संहिता की धारा **429 (IPC 429)** के तहत एक दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर आपको 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों लग सकता है।

संपर्क करें

www.animalcrimecontrol.com



ANIMAL CRIME CONTROL

24x7 EMERGENCY HELPLINE
CONTACT TO JOIN US +91- 9911551531
WWW.ANIMALCRIMECONTROL.COM/ORG
FOR ANIMAL WELFARE PURPOSE ONLY

- पशुओं के विरोध रूप से घोड़ों, बैलों, गधों आदि के गाड़ियों में या सामग्री ढोने के लिए अधिक इस्तेमाल को रोकना। पशुओं की अवैध बिक्री-खरीद को हतोत्साहित करना।
- जानवरों को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखने और दोषियों को पकड़ने के लिए।
- घायल पशुओं को प्राथमिक उपचार मुहैया कराना और उन्हें अस्पताल पहुंचाना।
- जानवरों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना।
- समाज में जानवरों के प्रति संवेदशीलता जगाना।
- पशु कल्याण के लिए काम करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना।
- बेसहारा पशुओं को गोद लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करना।
- लोगों को जानवरों की देखभाल करने और मानवीय व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना।
- जरूरतमंद जानवरों को भोजन/चास उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का निदान करना।
- पशु देखभाल श्रमिकों के कार्य में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही करना।



ANIMAL CRIME CONTROL
RIGHTS * PROTECTION * JUSTICE

- Working for animal welfare and protecting their rights.
- To take legal action against those who torture animals.
- To awaken the sensitivity towards animals in the society.
- Encouraging more and more people to adopt destitute animals.
- Motivating people to take care of animals and behave humanly.
- To free the animals illegally held captive and to catch the culprits.
- Providing first aid to injured animals and transporting them to the hospital.
- Providing food/fodder to the needy animals and attending to their problems.
- To take appropriate action against people obstructing animals care workers.
- Prohibiting overburdening of animals especially Horses, Oxen, Donkeys etc. used in carts or for carrying material. Discouraging illegal sale-purchase of animals.

जय हिन्द! पशु अधिकारों की रक्षा करना हमारा प्रथम उद्देश्य है। जय हिन्द!



ANIMAL CRIME CONTROL





ANIMAL CRIME CONTROL



Office Ramprastha

Today, 7:53 pm



किसी भी जानवर को
पत्थर/लात/डण्डे से मारना-पीटना
उसे उसकी जगह से हटाना या भगाना
प्रताड़ित करना अथवा जान से मारना
ऐसा कोई भी काम करना जिससे उसे
कष्ट या पीड़ा पहुँचे

पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11
(PCA Act 1960 Section 11) एवं
भारतीय दंड संहिता की धारा 429 (IPC 429)
के तहत एक दण्डनीय अपराध है।
ऐसा करने पर पर आपको 5 वर्ष का कारावास
या जुर्माना या दोनों लग सकता है.



REPLY